न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, बाढ़
उपस्थिति :– वीरेन्द्र कुमार चौबे
नियमित जमानत आवेदन संख्या 360/2026
मोकामा थाना कांड संख्या 41/2026

सुमित कुमार, पिता–राजीव गोप, उम्र करीब 20 वर्ष
साकिन–मोलदियार टोला, वार्ड नं0 11, थाना–मोकामा, जिला–पटना.....आवेदक अभियुक्त

बनाम्

बिहार सरकार ..... विपक्षी

आवेदक अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– श्री संजय कुमार
बिहार सरकार की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– मो0 एस0 आर0 रहमान

आदेश

15.07.2026 आवेदक अभियुक्त सुमित कुमार की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन धारा 483 बी.एन.एस.एस. के तहत् दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति अभियोजन को प्रदान किया गया है। यह वाद मोकामा थाना कांड संख्या 41/2026, अंतर्गत धारा 126(2), 115(2), 118(1), 352, 351(3), 109(1), 308(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता से सम्बंधित है। आवेदक अभियुक्त दिनांक 05.06.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता जमानत आवेदन को संचालित करते हैं तथा निवेदन करते हैं कि आवेदक अभियुक्त की ओर से पूर्व में अग्रिम जमानत आवेदन सत्र न्यायालय द्वारा अस्वीकृत किया गया था तथा गिरफ्तार हो जाने के कारण माननीय उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत आवेदन वापस ले लिया गया है। आवेदक अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नही है। आवेदक अभियुक्त दिनांक 05.06.2026 से कारा में है। आवेदक अभियुक्त निर्दोष है और इसने कोई अपराध नही किया है। अभियोजन केस असंभव एवं पूर्णतः असत्य है। जैसी घटना प्राथमिकी में कही गई है, वैसी कोई घटना नहीं घटी है। इस वाद में धारा 109(1) एवं 76 भारतीय न्याय संहिता को छोड़ अन्य सभी धाराएं जमानतीय प्रकृति के हैं। उभय पक्षों के बीच पूर्व की दुश्मनी के कारण यह केस दर्ज किया गया है तथा आवेदक अभियुक्त की ओर से भी इस वाद का प्रतिलोम वाद मोकामा थाना कांड सं0 42/26 दर्ज किया गया है। आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। आवेदक अभियुक्त के फरार होने की कोई संभावना नहीं है तथा सक्षम जमानतदार देने को तैयार हैं। अतः इन्हें नियमित जमानत पर मुक्त किया जाय।

अभियोजन जमानत का विरोध करते हैं और निवेदन करते कि आवेदक अभियुक्त औपचारिक प्राथमिकी के नामित अभियुक्त है और आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध मारपीट कर गंभीर रुप से सूचिका के पुत्र को जख्म कारित करने का आरोप है तथा जख्म की प्रकृति गंभीर पाया गया है। ऐसी परिस्थिति में इनका जमानत आवेदन खारिज किया जाय।

अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि इस वाद की सूचिका रंजना कुमारी हैं। इनका कथन है कि दिनांक 16.01.2026 को करण कुमार पिता–राजीव गोप साकिन मोलदियार टोला, वार्ड नं0–11 मोकामा इनके घर पर सरस्वती पूजा आयोजन के नाम पर अपने पिता राजीव गोप और सुमित कुमार के साथ आया था और तीनों ने एक सुर में मूर्ति बैठाने के नाम पर 25,000 रुपया जबरन रंगदारी पूर्वक पैसे की मांग किया था, तब इन्होंने उन सब को रुपया देने से मना कर दिया था। इसी बात को लेकर वह सूचिका के बेटे सिद्धार्थ शंकर उर्फ सिद्धू पिता स्व0 रंजीत

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, बाढ़
उपस्थिति :– वीरेन्द्र कुमार चौबे
नियमित जमानत आवेदन संख्या 360/2026
मोकामा थाना कांड संख्या 41/2026

लगातार
15.07.2026

कुमार को बाहर मिलने पर देख लेने की बात कहा था। दिनांक 26.01.26 को करीब 2 बजे पूर्वाह्न सूचिका के सिने में बेचैनी और दर्द उठी और सांस में दिक्कत होने पर अपने बेटे के साथ घर से स्कॉर्पियो से निकली कि गेट के सामने यही असामाजिक तत्व मोकामा का कुख्यात अपराधी राजीव गोप पिता स्वर्गीय सरयुग गोप शराब के नशे में सरस्वती पूजा पंडाल के रास्ते पर खड़ा था और वहीं उसका बेटा सुमित कुमार और करण कुमार नाच रहा था। जब सूचिका ने इन तीनों से रास्ता देने को कहा तो तीनों एक स्वर में नाराज होकर गाली–गलौज एवं दुर्व्यवहार करने लगे और सूचिका के पुत्र सिद्धार्थ शंकर उर्फ सिद्धू को गाड़ी से कॉलर पकड़कर खींचकर बलपूर्वक राजीव गोप बाहर निकाला और बोला साला सरस्वती पूजा के नाम पर 25,000 मांगता हूँ तो देने से मना करते हो, भूल गये हो कि हम कौन हैं। फिर से 2000 के दशक वाला दौर ला दूँ या फिर अभी पैसा देते हो कि नहीं। सूचिका के बेटे द्वारा विरोध किये जाने पर दोनों बेटा सुमित कुमार और करण कुमार गले में गमछा बांधकर फंसरी लगाकर जान मारने के नियत से अपने सुनसान घर के तरफ जबरदस्ती खींचकर ले गया, जिसमें उसका पिता कुख्यात राजीव गोप भी शामिल था। पुराना घर जिसका दरवाजा बंद रहता था उसको बलपूर्वक तोड़कर सूचिका के बेटे को घर के अंदर ले गये। जब तक सूचिका गाड़ी से उतरकर बचाव करती तब तक उन तीनों ने बेटे को लात, घुसा और मुक्का से मारना शुरु कर दिया और घर से लोहे का रड लाकर सर पर मारा और दोनों बेटे ने लाठी से सर पर मारा, जिससे सर बुरी तरह कई जगह फट गया और खून गिरने लगा और वह वहीं पर गिर पड़ा। अभियुक्तगण गाली–गलौज करते हुए बोले कि थाना में सूचना देने पर जान से हाथ धोने की धमकी दिये। सूचिका बेटे को किसी तरह उठाकर गाड़ी में लादकर अपने छोटे पुत्र कृतार्थ की मदद से रेफरल अस्पताल मोकामा पहुंची और ईलाज करवायी और बाद में थाना में आकर आवेदन दी।

उभयपक्षों को सुना। जमानत आवेदन एवं आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज तथा अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक अभियुक्त प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है। अभियुक्त पर अन्य सह अभियुक्तों के साथ मिलकर सरस्वती पूजा में मूर्ति बैठाने के नाम पर 25 हजार रुपया रंगदारी पूर्वक पैसा मांगने एवं मना करने पर अन्य सह अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचिका के पुत्र सिद्धार्थ शंकर के गले में गमछा बांधकर लोहे के रड से सिर पर मारकर जख्मी कर देने का आरोप है। कांड दैनिकी के पारा–2 में वादिनी ने पुनः बयान में घटना का समर्थन किया है। पारा–7 एवं 8 में साक्षी बबलु कुमार सिंह एवं शिव कुमार महतो ने भी अभियुक्तों द्वारा मारपीट कर सूचिका के पुत्र को जख्मी कर देने की बात कहा है। पारा–14 में इस वाद के प्रतिलोम कांड मोकामा थाना कांड संख्या 42/26 दर्ज होने की बात कही गई है। पारा–22 में अभियुक्त का आपराधिक इतिहास का वर्णन है, जिसमें आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध कोई केस दर्ज नही होने की बात कही गई है। पारा–66 में जख्मी सिद्धार्थ शंकर के जख्म प्रतिवेदन का वर्णन है, जिसमें उसके शरीर पर दो जख्म 1. Lacerated wound Scalp (5x1x1cm) and (3x1x1cm), 2. NCCT Head (LBKMCH Sahrsa) Dr. Shipra Agarwal, Reg No.-UPMCI 63231, Showing Displaced fracture of

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, बाढ़
उपस्थिति :– वीरेन्द्र कुमार चौबे
नियमित जमानत आवेदन संख्या 360/2026
मोकामा थाना कांड संख्या 41/2026

लगातार
15.07.2026

left side of nasal bone होने की बात कही गई है तथा जख्म की प्रकृति गंभीर (Grivous) दर्शाया है। इस वाद के प्रतिलोम वाद के अवलोकन से विदित होता है कि दि0 26.01.26 की घ ाटना को लेकर अभियुक्त की बहन के द्वारा सूचिका के पुत्र के विरुद्ध दुष्कर्म करने का प्रयास करने एवं बचाने आये उसके पिता को मारपीटकर घायल कर देने की बात कही गई है। पूर्व में आवेदक अभियुक्त का सत्र न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत खारिज किया गया था, परन्तु यह नियमित जमानत है। इस वाद के अन्य सह अभियुक्त राजीव गोप को नियमित जमानत की सुविधा दी गयी है। अभिलेख के अवलोकन से यह विदित होता है कि आवेदक अभियुक्त का आपराधिक इतिहास नही है तथा आवेदक अभियुक्त दिनांक 05.06.2026 से कारा में है। अनुसंधानकर्ता द्वारा इस वाद में अभियुक्त के विरुद्ध अभी तक आरोप पत्र समर्पित नहीं किया गया है। वाद अनुसंधानरत है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को नियमित जमानत का लाभ देना न्यायोचित प्रतीत होता है। परिणामस्वरुप 10,000 रुपये के बंधपत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू में बंधपत्र दाखिल करने पर इस शर्त के साथ नियमित जमानत दिया जाता है कि <u>आरोप पत्र समर्पित होने के पश्चात् ही आवेदक अभियुक्त सुमित कुमार बंधपत्र दाखिल करेंगे।</u>

(लेखापित/शुद्धित)

(वीरेन्द्र कुमार चौबे)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम बाढ